an>

Title: Regarding need to include Bhojpuri in the Eighth Schedule to the Constitution.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): विश्व की सबसे बड़ी बोली भोजपुरी लगभग 70 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 16 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखंड में इसका प्रयोग व्यापक है। नेपाल के तराई क्षेत्र, मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद, थाईलैण्ड, हॉलैण्ड, मलेशिया तथा सिंगापुर सहित 27 देशों में भी इसका व्यापक आधार है। ऋग्वेद में महर्षि विश्वामित्र द्वारा "भोज" शब्द जिससे भोजपुरी बनी, का उल्लेख तो है ही, महाभारत सहित विभिन्न धर्मग्रन्था से होते हुए मालवा के राजा भोज, उज्जैन के भोज, गुर्जर प्रतिहार भोज, काशी तथा डुगरशेंव के भोज राजाओं का इतिहास भोजपुरी की व्यापकता, विशालता और प्राचीनता का गवाह है।

संत साहित्यकारों गुरू गोरखनाथ जी, चौरंगीनाथ जी, योगिराज भतृहरि, कबीरदास, कमलदास, धरमदास, धरनीदास, पलटूदास, भीखा साहेब जैसे सैकड़ों सन्त साहित्यकारों, विचारकों और चिन्तकों ने अपनी लोक कथाओं, गीतों, लोकगाथाओं और लोकोक्तियों से भोजपुरी की पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक कंठ से दूसरे कंठ तक पहुंचाया। महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, भगवतशरण उपाध्याय और चतुरी चाचा जैसे रचनाकारों ने भोजपुरी गद्य साहित्य को नई ऊंचाइयाँ प्रदान की।

भारतीय संविधान के मूल रूप में 14 भाषाएं ही आठवीं सूची में थी। बाद में इसमें संशोधन कर सिन्धी, कोंकड़ी, नेपाली, मैनपुरी, मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो को भी शामिल कर लिया गया। भोजपुरी संस्कृति इन सभी भाषाओं का आदर करते हुए यह जानना चाहती है कि जिस वजह से इन बोलियों को इस सूची में शामिल किया गया, उनमें से क्या कोई एक भी तत्व ऐसा है जिसे भोजपुरी भाषा पूर्ण न करती हो। यद्यपि गृह मंत्रालय ने भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी किया है, फिर भोजपुरी के साथ यह अन्याय क्यों ?

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि 16 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझते हुए भोजपुरी भाषा को तत्काल आठवीं सूची में शामिल किया जाए।